रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2004/श्रावण 12, 1926
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2004/SRAVANA 12, 1926

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2004

सं. एल-7/25(7)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन करने, आवेदन का प्रकाशन और अन्य संबंधित विषयों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2004 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन किया है ;

(ग) "आवेदन" से अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन टैरिफ के अवधारण के लिए आयोग को किया गया आवेदन, उसके साथ उपाबंध और संलग्नक अभिप्रेत है ;

(घ) "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास उत्पादन केन्द्र से विद्युत का फर्म आबंटन हो या जो उत्पादन केन्द्र से उसे आबंटित विद्युत के अंतरण के लिए पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो ; और

(ङ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **आवेदन करने के लिए प्रक्रिया**

(1) आवेदन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्ररूप में आयोग को किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक प्रत्येक फायदाग्राही को आवेदन की प्रति तामील कराएगा ।

(3) आवेदक आयोग को आवेदन करने से पूर्व, संपूर्ण आवेदन को अपनी स्वयं की वेबसाइट या किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डालेगा ।

(4) आयोग को आवेदन करते समय, आवेदक यह उपदर्शित करेगा कि संपूर्ण आवेदन की प्रति प्रत्येक फायदाग्राही को तामील करा दी गई है तथा आवेदन अपनी स्वयं की वेबसाइट पर या ऐसे किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया है जिस पर आवेदन पोस्ट किया गया है ।

(5) आवेदक, आवेदन में उल्लिखित तथ्यों से अवगत व्यक्ति के शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा । आवेदन इस विनियम के खंड (6) के अनुसार आवेदन की सूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 30 दिन तक वेबसाइट पर रखा जाएगा :

(6) आवेदक, आवेदन करने के पश्चात् 7 दिन के भीतर कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक अंग्रेजी भाषा और दूसरा उस देशी भाषा का होगा जिसका परिचालन उस प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में हो जहां फायदाग्राही अवस्थित हो, सूचना को प्रकाशित करेगा तथा ऐसे दैनिक समाचार पत्र के रूप में वह उसी भाषा में होगी, जो उस समाचार-पत्र की है, जिसमें इन विनियमों की अनुसूची में दिए गए नमूने के अनुसार आवेदन प्रकाशित किया जाता है ।

(7) किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव के लिए सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आदेश को उसकी प्रति के साथ, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सातवीं मंजिल, कोर 3, स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (या किसी ऐसे अन्य पते पर जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) के समक्ष फाइल की जा सकेंगी ।

(8) आवेदक यथावपूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को शपथपत्र पर आयोग को प्रस्तुत करेगा और उन समाचार पत्रों की सुसंगत प्रतियां भी फाइल करेगा जिनमें सूचना प्रकाशित की गई है ।

(9) आवेदक समाचार पत्रों में इसके प्रकाशन के 45 दिन के भीतर सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों, यदि कोई हों, के संबंध में शपथ-पत्र पर अपनी टीका-टिप्पणियां फ़ाइल करेगा और उसकी अग्रिम प्रति ऐसे व्यक्ति को देगा, जिसने आवेदन संबंधी प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां फाइल की हैं ।

4. **आवेदन पर विनिश्चय**

(1) आयोग आवेदन में किए गए प्रस्ताव और सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में ऐसे आवेदन में किए गए प्रस्ताव पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, -

(क) ऐसे उपांतरणों या ऐसी शर्तों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के साथ आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करेगा ; या

(ख) यदि ऐसा आवेदन इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा :

परंतु यह कि आयोग अपने स्वविवेक से टैरिफ आदेश करने से पूर्व, आवेदक, फायदाग्राही, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसने सुझाव या आपत्तियां फाइल की हैं, या उनमें से किसी एक या अधिक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि आवेदक को उसके आवेदन को रद्द करने से पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) आयोग आदेश करने से सात दिन के भीतर, समुचित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आवेदक और फायदाग्राहियों को आदेश की प्रति भेजेगा ।

5. <u>अध्यारोही प्रभाव</u>

इन विनियमों के उपबंध, जहां तक टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन का संबंध है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 1999 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा./150/04]

अनुसूची

[विनियम 3 के (6) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु]

(कंपनी का नाम)
(रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता........) } **(स्पष्ट अक्षरों में)**

1. ऊपर नामित आवेदक ने [उत्पादन केंद्र/पारेषण प्रणाली का ना दें] के टैरिफ के अवधारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है ।

2. उत्पादन केंद्र/पारेषण प्रणाली के फायदाग्राही निम्नलिखित हैं :

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

....

....

3. उत्पादन केंद्र की क्षमता/लाईन की लंबाई ; पारेषण प्रणाली के बेज की संख्या :

4. परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रुपए लाख में) — मूल :
अंतिम (पुनरीक्षित):

5. वह प्राधिकारी जिसने पूंजी लागत अनुमोदित की है :

6. वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख मूल :
अंतिम (पुनरीक्षित) :

7. वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख :

8. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पूंजी लागत (लाख रुपए में) :

9. टैरिफ के ब्यौरे (लागू भाग को ही प्रकाशित करें)

(लाख रुपए में)

	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ	अवधारित किए जाने के लिए वर्षवार टैरिफ				
		पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाचवां वर्ष
ताप ऊर्जा उत्पादन केंद्र **1. क्षमता प्रभार** **2. ऊर्जा प्रभार**						
हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केंद्र **1. वार्षिक नियत प्रभार** **2. प्रारंभिक ऊर्जा प्रभार**						
पारेषण प्रभार **पारेषण प्रभार**						

10. टैरिफ के अवधारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति वेबसाइट (यहां वेबसाइट का पता दें) पर रख दी गई है ।

2378/91-04=2

11. आवेदन में अंतर्विष्ट टैरिफ के अवधारण के प्रस्ताव संबंधी सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो, सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आवेदक को उसकी प्रति देते हुए, किसी भी व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही भी सम्मिलित है, द्वारा सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सातवीं मंजिल, कोर-3, स्कोप काम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली - 110003 (या ऐसे किसी अन्य पते पर जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) के समक्ष फाइल की जा सकेंगी ।

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
तारीख : नाम और पदनाम

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2004

No. L-7/25(7)/2004-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT**

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure for making of application for determination of tariff, publication of the application and other related matters) Regulations, 2004.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. **DEFINITIONS AND INTERPRETATION:**

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "applicant" means the person who has made an application for determination of tariff;

(c) "application" means the application along with annexures and enclosures made to the Commission for determination of tariff under sub-section (1) of Section 64 of the Act;

(d) "beneficiary" means the person having firm allocation of electricity from a generating station or using the transmission system for transfer of electricity allocated to it from a generating station; and

(e) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **PROCEDURE FOR MAKING APPLICATION**

(1) The application shall be made to the Commission in the form appended as Appendix I to the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004 and shall be accompanied by such fee as may be specified by the Commission from time to time.

(2) Before making the application, the applicant shall serve a copy of the application on each of the beneficiary.

(3) The applicant shall post complete application on its own website or any other authorised website, before making the application to the Commission.

(4) While making the application to the Commission, the applicant shall indicate whether copy of the complete application has been served on each of the beneficiary and whether the application has been posted on its own website or any other authorised website, with address of the website whereon the application has been posted.

(5) The application made shall be supported by affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application. The application shall be kept on the website at least for 30 days from the date of publication of the notice of application in accordance with clause (6) of this regulation.

(6) The applicant shall, within 7 days after making the application, publish a notice of his application in at least two daily newspapers, one in English language and one in vernacular language, having circulation in each of the State/Union Territory where the beneficiaries are situate in the same language as of the daily newspaper in which the notice of the application is published, as per the specimen given in the schedule to these regulations.

(7) The suggestions and objections, if any, to the proposal for determination of tariff, may be filed before the Secretary, Central Electricity Regulatory Coimmission, 7th Floor, Core-3, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 (or other address where the office of the Commission is situate) by any person, including the beneficiaries within 30 days of publication of the notice with a copy to the applicant.

(8) The applicant shall within 15 days from the date of publication of the notice as aforesaid submit to the Commission on affidavit the details of the notice published and shall also file before the Commission relevant copies of the newspapers in which the notice has been published.

(9) The applicant may file his comments on affidavit on the suggestions and objections, if any, received in response to the public notice within 45 days of its publication in the newspapers, with an advance copy to the person who has filed the suggestions and objections on the proposals made in the application..

4. **DECISION ON APPLICATION**

(1) The Commission may after considering the proposal made in the application and the suggestions and objections received on the proposals made in such application in response to the public notice -

(a) Issue the tariff order accepting the application with such modifications or such conditions as may be specified in the order; or

(b) Reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of the rules or regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being in force:

Provided that the Commission may in its discretion, afford an opportunity of hearing to the applicant, the beneficiary, or any person who has filed suggestions or objections, or any one or more of them before issuing the tariff order:

Provided further that the applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting his application.

(2) The Commission shall, within seven days of making the order, send a copy of the order to the Appropriate Government, the Central Electricity Authority, the applicant and the beneficiaries.

5. **OVERRIDING EFFECT**

The provisions of these regulations shall have effect so far as an application for determination of tariff is concerned, notwithstanding anything to the contrary contained in the Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 1999.

A. K. SACHAN, Secy.
[ADVT. 3/4/Exty./150/04]

SCHEDULE

[To be published in pursuance of Clause (6) of Regulation 3]

Name of the Company
(Registered Office Address ....) } **(in bold letters)**

1. The applicant above-named has made an application before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi for determination of tariff for [Give name of the generating station transmission system].

2. The beneficiaries of the generating station/transmission system are:

(a)

(b)

(c)

(d)

....

....

3. Capacity of the generating station/line length, number of bays of the transmission system:

4. Approved capital cost of the project (Rs. in lakh) - Original:
Final (Revised):

5. Authority which has approved the Capital Cost:

6. Scheduled date of commercial operation - Original:
Final (Revised):

7. Actual date of commercial operation:

8. Capital cost on the date of commercial operation (Rs. in lakh):

9. Details of tariff (Publish only applicable portion):

(Rs. in lakh)

		Tariff for the previous year	Year-wise tariff sought to be determined				
			1st year	2nd year	3rd year	4th year	5th year
	Thermal Power Generating Station 1. **Capacity Charges** 2. **Energy Charges**						
	Hydro Power Generating Station 1. **Annual Fixed Charges** 2. **Primary Energy Charges**						
	Transmission System **Transmission Charges**						

10. A copy of the application made for determination of tariff is posted on the website (indicate here the address of the website).

11. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the application be filed by any person, including the beneficiary before the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 7th Floor, Core-3, Scope Complex, Lodi Road, New Delhi - 110 003 (or other address where the office of the Commission is situate), with a copy to the applicant within 30 days of publication of this notice.

Place ______

Date ______

Name and Designation of the
Authorised Signatory

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.